**प्रेस नोट**

**दिनांक 05.04.2025**

**ई-रिक्शा एवं ऑटो चालकों-स्वामियों का जागरूकता एवं सत्यापन अभियान।**

आज दिनांक 05.04.2025 जनपद हमीरपुर में पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में ए0आर0टीओ0 हमीरपुर एवं क्षेत्राधिकारी यातायात के संयुक्त प्रयास से थाना कुरारा क्षेत्र अन्तर्गत ई-रिक्शा एवं ऑटो चालकों-स्वामियों के लिए जागरूकता व सत्यापन अभियान आयोजित किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देना, दस्तावेजों का सत्यापन करना और सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करना था।

इस अभियान में ई-रिक्शा एवं ऑटो चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी), बीमा दस्तावेज, फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट और अन्य आवश्यक कागजातों की जांच की गई। इस दौरान जिन चालकों के दस्तावेज अपूर्ण पाए गए, उन्हें शीघ्रता से उन्हें पूरा करने की अपील की गई।

अधिकारियों द्वारा चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए बताया गया कि नशे की हालत में वाहन चलाना न केवल कानूनी अपराध है, बल्कि यह स्वयं चालक, सवारियों और अन्य राहगीरों के जीवन के लिए भी खतरा बन सकता है। चालकों से अपील की गई कि वे नियमों का पालन करें और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं।

इस अभियान में बड़ी संख्या में ई-रिक्शा एवं ऑटो चालकों ने भाग लिया और सभी ने यह शपथ ली कि वे यातायात नियमों का पालन करेंगे, नशे में वाहन नहीं चलाएंगे और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहेंगे। चालकों ने यह भी संकल्प लिया कि वे पुलिस एवं यातायात पुलिस के साथ मिलकर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में सहयोग करेंगे। यह अभियान न केवल दस्तावेजों के सत्यापन तक सीमित रहा, बल्कि यह यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी कारगर साबित हुआ। आने वाले दिनों में पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग द्वारा इस तरह के और अभियानों को चलाने की योजना बनाई गई है ताकि सभी वाहन चालक सड़क सुरक्षा के प्रति अधिक सतर्क रहें। हमीरपुर पुलिस और परिवहन विभाग के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस अभियान ने ई-रिक्शा एवं ऑटो चालकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया। चालकों की सक्रिय भागीदारी और संकल्प ने इसे सफल बनाया। इस तरह के अभियानों से न केवल सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, बल्कि यातायात व्यवस्था भी अधिक सुचारू और सुरक्षित बनेगी।